

सं0सं0-7/यक्ष्मा-3-01/2017-171(7)0
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/दरभंगा
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक : 27-3-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹2,32,34,912/- (दो करोड़ बत्तीस लाख चौतीस हजार नौ सौ बारह रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में विभागीय आवंटनादेश संख्या-09(7)ब दिनांक-15.05.17, 44(7)ब दिनांक-17.08.17, 68(7)ब दिनांक-22.09.17, 70(7)ब दिनांक-25.09.17, 88(7)ब दिनांक-16.10.17, 90(7)ब दिनांक-17.10.17, 99(7)ब दिनांक-5.12.17 135(7)ब दिनांक-18.01.18 एवं 142(7)ब दिनांक-20.02.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों के लिए कुल ₹20,66,300/- (बीस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु.) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-199(7) दिनांक-8.02.18 एवं 232(7) दिनांक- 26.03.18) से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

4- सामग्री एवं पूर्तियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/ दरभंगा/ अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर, भोजपुर/ संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना एवं संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।

← 27/3/18

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन, ^

27/3/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 171(7)A

पटना, दिनांक : 27-3-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-03,07 /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-2018 (विपत्र कोड 20-2210012000001) में बिहार स्थित यक्ष्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अपर निदेशक(यक्ष्मा) का कार्यालय, बिहार, पटना	10000	12000	1000	1000	500	500	25000	0	25000	6/4.1.18
2	अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	1200000	1440000	240000	68200	60000	60000	3068200	0	3068200	15/16.2.18
3	अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा	500000	600000	100000	0	25000	25000	1250000	0	1250000	9/12.1.18
4	अपर मुख्य चि0पदा0, पटना	400000	480000	80000	72800	20000	20000	1072800	0	1072800	2/18.1.18
5	अपर मुख्य चि0पदा0, भोजपुर	400000	480000	80000	0	20000	20000	1000000	0	1000000	44/22.2.18
6	अपर मुख्य चि0पदा0, रोहतास	400000	480000	80000	0	20000	20000	1000000	309423	1309423	07/2.2.18
7	अपर मुख्य चि0पदा0, कटिहार	560000	672000	112000	0	28000	28000	1400000	0	1400000	22/7.1.18
8	अपर मुख्य चि0पदा0, पूर्णिया	350000	420000	70000	0	17500	17500	875000	0	875000	76/27.2.18
9	अपर मुख्य चि0पदा0, कैमूर	400000	480000	80000	0	20000	20000	1000000	0	1000000	39/27.2.18
10	अपर मुख्य चि0पदा0, किशनगंज	600000	720000	120000	0	30000	30000	1500000	0	1500000	33/12.2.18
11	अपर मुख्य चि0पदा0, मुंगेर	160000	192000	32000	0	8000	8000	400000	0	400000	80/23.2.18
12	अपर मुख्य चि0पदा0, मुजफ्फरपुर	400000	480000	80000	0	20000	20000	1000000	0	1000000	38/9.2.18
13	अपर मुख्य चि0पदा0, वैशाली	800000	960000	160000	0	40000	40000	2000000	0	2000000	97/14.3.18
14	अपर मुख्य चि0पदा0, नवादा	20000	24000	5000	0	1000	1000	51000	283489	334489	62/16.2.18
15	अपर मुख्य चि0पदा0, नालन्दा	800000	960000	160000	0	40000	40000	2000000	0	2000000	106/5.3.18
16	अपर मुख्य चि0पदा0, मधेपुरा	1250000	1500000	250000	0	62500	62500	3125000	0	3125000	13/27.1.18
17	अपर मुख्य चि0पदा0, छपरा	580000	696000	116000	0	29000	29000	1450000	0	1450000	105/1.3.18
18	अपर मुख्य चि0पदा0, अररिया	170000	204000	34000	0	8500	8500	425000	0	425000	139/21.2.18
	कुल	9000000	10800000	1800000	142000	450000	450000	22642000	592912	23234912	

(दो करोड़ बत्तीस लाख चौतीस हजार नौ सौ बारह) रु. मात्र

171(F)A


27-3-18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध / पुनर्विनियोग सहित	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	229000000	220000000	9000000	229000000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	300800000	290000000	1080000	300800000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	34300000	32500000	1800000	34300000	0
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	2142000	2000000	142000	2142000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	2950000	2500000	450000	2950000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	3450000	3000000	450000	3450000	0
	योग 20-2210.01.200.0001.01 वेतन	572642000	550000000	22642000	572642000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1892000	1273984	592912	1866896	25104
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	250000	135000	0	135000	115000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	400000	400000	0	400000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	300000	152500	0	152500	147500
11	दूरभाष (0001-13-03)	200000	136000	0	136000	64000
12	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	5000000	5000000	0	5000000	0
13	विधि प्रभार (0001-13-05)	300000	185000	0	185000	115000
14	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	200000	200000	0	200000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	700000	653797	0	653797	46203
16	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	2200000	61186	0	61186	2138814
17	सामग्री एवं पूर्ति (0001-21-01)	380000	264500	0	264500	115500
18	दवा भंडार (0001-21-02)	600000	26780	0	26780	573220
19	आहार / पशु (0001-21-03)	600000	500000	0	500000	100000
19	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	400000	100000	0	100000	300000
	कुल योग:-	586064000	559088747	23234912	582323659	3740341

171(7)0
27-3-18


 सरकार के विशेष सचिव
 27/3/18